आयोजनागत

संख्या-197/III (2)/04-29 (बजट)/2004

प्रेषक,

टी0के0पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 18 सितम्बर, 2004

विषय- वर्ष 2004-2005 मे निर्माणाधीन पुल्ड आवासों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1529/11(बजट)/भवन)आयोजनागत)/04दिनांक 18.8.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के संलग्न सूची में उल्लिखित निर्माणाधीन पुल्ड आवासो के निर्माण हेतु वर्ष 2004-05के आय-व्ययक में प्राविधानित अवशेष धनराशि रु0 144.34 लाख(रु0 एक करोड़ चौवालीस लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का साख सीमा के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा, यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू/निर्माणाधीन योजनाओं पर ही किया जायेगा तथा शासन की पूर्वानुमति के बिना नई योजनाओं पर व्यय कदापि नही किया जायेगा । कार्यवार आवंटित धनराशि की सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी ।

3- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्यों पर ही कार्य की स्वीकृत लागत की सीमा तक ही किया जाय ।

4- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-2 विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का कार्यवार आवंटन कर वित्तीय /भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण प्राथमिकता के आधार पर शासन को स्वीकृति के एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा ।

6- आवास के कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करके संबंधित को हस्तगत कर दिये जायेंगे ।

7- यदि पुनः स्वीकृति के उपरान्त पुनः स्वीकृत की जा रही धनराशि का समयबद्ध रूप से उपयोग नहीं किया जाता है तो इसका समस्त दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का ही मानते हुए उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

क्रमशः 2/-

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31-3-2005 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

9- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय व्ययक के अनुदान संख्या -22 लेखाशीर्षक 5054-लोक निर्माण कार्य (क्रमशः) -80-सामान्य आयोजनागत-800-अन्य भवन(क्रमशः) -12 पूल्ड आवास योजना(बालू कार्य) आयोजनागत-00-24-गृहता निर्माण कार्य के सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा ।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या- 1033/वित्त अनुभाग-3/04 दिनांक, 31 अगस्त, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(दीपक पन्त)
संयुक्त सचिव

संख्या-1017(1)/III (2)/04 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,देहरादून ।
2- आयुक्त गढवाल, कुमायू मण्डल पौडी/ नैनीताल ।
3- श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त बजट अनुभाग ।
4- निजी सचिव, मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
5 - समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी उत्तरांचल ।
6- मुख्य अभियन्ता गढवाल / कुमाऊ क्षेत्र लो.नि.वि./पौडी/ अल्मोडा ।
7- वित्त अनुभाग-3/ वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
8- निदेशक ,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल, देहरादून।
9- लोक निर्माण अनुभाग-1/ गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(दीपक पन्त)
संयुक्त सचिव ।

शासनादेश संख्या-1(3)7 / 111(2)/2004-29(बजट)/2004 दिनांक 10 सितम्बर 2004 का संलग्नक ।

(धनराशि लाख रु0 में)

क्रम सं0	कार्य का नाम	खण्ड का नाम	स्वीकृत लागत	1.4.04 को वित्तीय अवशेष	2004-05 में प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	रेसकोर्स में लोक निर्माण विभाग अधिकारी/कर्मचारियों हेतु आवासों का निर्माण ।	निर्माण खण्ड,देहरादून ।	73.08	68.08	52.43
2.	प्रान्तीय खण्ड [illegible]प्रयाग स्थित लोक [illegible] विभाग के विभिन्न श्रेणी के आवासों का निर्माण ।	प्रान्तीय खण्ड,रुद्रप्रयाग ।	27.98	20.03	12.34
3.	[illegible] खण्ड,उखीमठ [illegible] लोक निर्माण विभाग के [illegible] का निर्माण	निर्माण खण्ड, उखीमठ ।	39.42	34.42	12.00
4.	नरेन्द्रनगर में पूरक डाकबंगला [illegible] (अनावासीय भवनों का अवशेष)	निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर ।	31.33	6.33	2.57
5.	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पुलिस आवासों का निर्माण ।	निर्माण खण्ड,अल्मोड़ा ।	54.42	34.42	15.00
6.	जनपद नैनीताल में पुलिस [illegible] के अन्तर्गत [illegible] भवन परिसर में श्रेणी 1 से 5 तक के भवनों का निर्माण ।	अस्थाई खण्ड,भवाली ।	167.16	117.06	50.00
		योग :-	392.89	280.34	144.34

(रु0 एक करोड़ चौवालीस लाख चौंतीस हजार मात्र)